अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय (महिलाओं के विरूद्ध अपराध विचारण न्यायालय) गाजीपुर

उपस्थितः– संजय कुमार यादव–प्रथम (उच्चतर न्यायिक सेवा)

सत्र परीक्षण संख्या–616/2021

राज्य------------------बनाम-----------------श्रवण कुमार एवं अन्य

मु०अ०सं०–107/2021

धारा–498ए/34, 304 बी/34 एवं

वैकल्पिक धारा–302/34 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा–3,4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम

थाना–खानपुर, जनपद–गाजीपुर

पुकार पर अभियुक्तगण श्रवण, हरदेव राम एवं रमावती देवी मय अधिवक्ता उपस्थित आये।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा मामले का विस्तारपूर्वक वर्णन करते हुए बताया गया कि किस–किस साक्ष्य से आरोप की सम्पुष्टि की जानी है। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियुक्तगण को आरोप के बिन्दु पर सुना तथा उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन किया। अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा– 498 ए/34, 304 बी/34 एवं वैकल्पिक धारा–302/34 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा–3, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत अपराध कारित करने की परिकल्पना का प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार है।

अभियुक्तगण पर उक्त धाराओं के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार कर विचारण की याचना की।

अतः पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनांक 17.01.2021 को पेश हो।

साक्षीगण जरिये समन तलब हों।

दिनांक–04.01.2022

(संजय कुमार यादव-प्रथम)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय

(महिलाओं के विरूद्ध अपराध विचारण न्यायालय) गाजीपुर